

उच्च न्यायालय, लखनऊ
नीलामी सूचना

विषय :- वाहनों की नीलामी

तिथि :- 31-10-2026

समय :- अपरान्ह 01:00 बजे

स्थान :- मिनी ऑडिटोरियम, उच्च न्यायालय, लखनऊ परिसर

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस न्यायालय के निम्नलिखित 04 वाहनों की नीलामी की जानी है-

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. UP 70 AG 1091 (हॉन्डा सिटी) | 3. UP 70 AG 1344 (हॉन्डा सिटी) |
| 2. UP 70 AG 1096 (हॉन्डा सिटी) | 4. UP 32 BG 6476 (कोरोला अल्टिस) |

उपरोक्त वाहनों की नीलामी में भाग लेने हेतु प्रत्येक बोलीदाता को दिनांक 31-10-2026 को प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 12:00 बजे के बीच लखनऊ खंडपीठ में काउंटर नंबर 01 (कैश काउंटर) पर प्रति वाहन रुपये 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) नगद जमा करना होगा तथा उपरोक्त वाहनों की नीलामी अपरान्ह 01:00 बजे से मिनी ऑडिटोरियम, उच्च न्यायालय, लखनऊ परिसर में की जाएगी। इच्छुक बोलीदाता नियमानुसार प्रवेश पास लेकर नीलामी तिथि से एक दिन पूर्व वाहनों का निरीक्षण कर सकते हैं। नीलामी की नियम एवं शर्तें न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर किसी भी कार्य दिवस में समय 10:00 बजे से 03:00 बजे तक देखी जा सकती है तथा न्यायालय के दूरभाष संख्या 2722500, एक्स्टेंशन संख्या 22992 पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उक्त नोटिस एवं नीलामी की नियम एवं शर्तें मा० उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर भी अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं।

- Sd -

वरिष्ठ निबंधक

कार्यालय वरिष्ठ निबंधक, उच्च न्यायालय, लखनऊ

संख्या :- 04 वाहन

विषय :- वाहनों की नीलामी

तिथि :- 31-10-2026, समय: अपरान्ह 01:00 बजे

स्थान :- मिनी ऑडिटोरियम, उच्च न्यायालय, लखनऊ परिसर

विवरण कार :-

1. UP 70 AG 1091 (हॉन्डा सिटी)
2. UP 70 AG 1096 (हॉन्डा सिटी)
3. UP 70 AG 1344 (हॉन्डा सिटी)
4. UP 32 BG 6476 (कोरोला अल्टिस)

नीलामी के नियम एवं शर्तें

1. वाहन **"जहाँ है, जैसा है"** की स्थिति में नीलाम किया जाएगा।
2. बोलीदाताओं का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे बोली से पूर्व उक्त वाहनों का पूर्ण अवलोकन कर लें। नीलाम किए जाने वाले वाहनों का नीलामी से एक दिन पूर्व, अर्थात् 30-10-2026 को अपरान्ह 2:30 बजे से 4:30 बजे तक उच्च न्यायालय परिसर के गैराज के पास अवलोकन किया जा सकता है।
3. बोलीदाता का जी० एस० टी० में पंजीकरण, पैन कार्ड एवं आधार कार्ड होना अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में जी० एस० टी० का अस्थायी पंजीयन (कैजुअल/टेम्पररी रजिस्ट्रेशन) भी मान्य होगा।
4. प्रत्येक बोलीदाता को नीलामी में भाग लेने के लिए **प्रति वाहन रुपये 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र)** नगद लखनऊ खंडपीठ में काउंटर संख्या-01 (कैश काउंटर) पर बोली वाले दिन अर्थात् **31-10-2026** को प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 12:00 बजे तक जमा करना होगा तथा पैन कार्ड, आधार कार्ड एवं जी० एस० टी० पंजीकरण पत्र की छायाप्रति भी संलग्न करना होगा। असफल बोलीदाताओं को नीलामी समाप्त होने पर उनकी उक्त धनराशि काउंटर संख्या - 01 (कैश काउंटर) से तत्काल वापस कर दी जाएगी।
5. नीलामी प्रक्रिया में बोली बोलने के लिए केवल उक्त धनराशि जमा करने वाला व्यक्ति या उसके द्वारा अधिकृत केवल एक प्रतिनिधि ही उसकी ओर से भाग ले सकेगा। इस सम्बन्ध में प्राधिकृत पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. नीलामी अपरान्ह 01:00 बजे प्रारम्भ होगी ।

7. नीलामी समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना कारण बताए अस्वीकार कर सकती है।
8. वाहन का न्यूनतम निर्धारित मूल्य नीलामी के समय बताया जायेगा।
9. जिस बोलीदाता की अंतिम बोली स्वीकार की जाएगी, उसे अपनी उच्चतम बोली का 50 प्रतिशत धनराशि में 50,000/- रूपए की अग्रिम धनराशि को समायोजित करते हुए शेष राशि तत्काल नगद जमा करनी होगी तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि नीलामी से एक सप्ताह के अंदर नगद/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करनी होगा। यदि सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित धनराशि उपर्युक्तानुसार जमा नहीं करायी जाती है, तो उसकी बोली निरस्त समझी जाएगी एवं जमा की गई अग्रिम धनराशि जब्त कर ली जाएगी तथा वाहन को पुनः नीलाम किया जायेगा।
10. नीलामी समिति द्वारा स्वीकार की गयी बोली को विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किये जाने के पश्चात् ही अंतिम रूप से स्वीकृत माना जायेगा।
11. नियमानुसार जी० एस० टी० सहित अन्य सभी कर, आदि उच्चतम बोलीदाता के द्वारा देय होंगे।
12. जिस व्यक्ति के पक्ष में नीलामी अंतिम रूप से स्वीकार होगी, उसे नीलामी अनुमोदित होने की सूचना प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के भीतर नीलाम वाहन को अपने नाम हस्तांतरित करवा कर सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा उक्त तीन माह की अवधि समाप्त होने के पश्चात उक्त सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने की तिथि तक नीलाम वाहन को परिसर में खड़ा रखने के लिए 500/- रूपए प्रतिदिन की दर से पार्किंग शुल्क देना होगा ।
13. सफल बोलीदाता को अपने नीलाम वाहन को ले जाने की अनुमति मिलने की तिथि से एक सप्ताह के अंदर वाहन को नीलामी स्थल से हटाना होगा । अन्यथा उक्त एक सप्ताह की अवधि समाप्त होने के पश्चात वाहन को परिसर में खड़ा रखने के लिए 500/- रूपए प्रतिदिन की दर से पार्किंग शुल्क देना होगा ।
14. नीलामी अनुमोदित होने के उपरांत अगर सफल बोलीदाता किसी भी कारण से अपनी बोली वापस लेता है, तो उसके द्वारा जमा की गई अग्रिम धनराशि एवं लागू पार्किंग शुल्क जब्त करते हुए भविष्य में होने वाली नीलामी में प्रतिभाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।
15. उच्चतम बोलीदाता का यह दायित्व होगा कि वह नीलाम वाहन को नियमानुसार अपने नाम हस्तांतरित कराने के पश्चात् ही उसका प्रयोग करेगा तथा माननीय उच्च न्यायालय के नाम का प्रयोग किसी भी प्रकार से नहीं करेगा । यदि वाहन को नष्ट/स्क्रेप करना चाहता है, तो इसकी सूचना नियमानुसार सम्बंधित संभागीय परिवहन अधिकारी को देगा।

16. उच्चतम बोलीदाता नीलाम वाहन के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। यदि भविष्य में भी कोई घटना घटित होती है तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
17. नीलाम किये गए वाहन की उच्चतम बोली बोलने वाले को तब तक सुपुर्दगी नहीं दी जाएगी, जब तक कि वह बोली की पूर्ण धनराशि का पूरा भुगतान, आर० टी० ओ० कार्यालय द्वारा निर्धारित वाहन कर, इंश्योरेंस तथा जी० एस० टी० जमा करके नीलाम वाहन को अपने नाम पर हस्तांतरित नहीं करा लेता।
18. नीलामी प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को नीलामी प्रक्रिया से तुरंत बाहर कर दिया जायेगा। उसके विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी तथा भविष्य में होने वाली नीलामियों से प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।
19. नीलामी की शर्तों के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो वरिष्ठ निबंधक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ खंडपीठ, लखनऊ द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
20. नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही जनपद लखनऊ में स्थित सक्षम न्यायालय में ही की जाएगी।

— Sd —

वरिष्ठ निबंधक